(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–चार में प्रकाशनार्थ)
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(शहरी विकास विभाग)
नौंवा तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली।

सं0फा0 16(214)/श0वि0/डब्ल्यू/2009/ 123 दिनांकः 14/02/2012

अधिसूचना

सं0फा0 16(214)/श0वि0/डब्ल्यू/2009/ .– दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 के खंड (एम) के अधीन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए गए निम्नलिखित भर्ती विनियम जो दिल्ली जल बोर्ड में **सहायक आयुक्त (जल)/सहायक आयुक्त (भूमि एवं संपदा)/उप–निदेशक राजस्व (जल)** के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति, पदोन्नति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित, उन्हें एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को **सहायक आयुक्त (जल)/सहायक आयुक्त (भूमि एवं संपदा)/उप–निदेशक राजस्व (जल)** के पद के लिये भर्ती विनियम दिल्ली जल बोर्ड, 2012 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादिः**– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **नियमित सेवा** :– किसी भी ग्रेड में ''नियमित सेवा'' का अर्थ है ग्रेड में सेवा की अवधि या अवधियां जो कि उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् दी गई है तथा इसमें वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित होगी जिसके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड ड्यूटी पदधारित है लेकिन उसके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा की स्थिति में ऐसे पद को धारण करने के लिए अवधि उपलब्ध नहीं होगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

7. **बचावः**– इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तिों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. **निरसनः**– दिनांक 12.11.1987 की दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या 09/11/87–एलएसजी/6933 को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से रद्द समझा जायेगा।

(एस. एस. राठौर)
विशेष सचिव (शहरी विकास)